

152
151/125

112



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो द्वारा प्राप्ति - संभवा
 2. वर्तमान धारित पद सहायक मास्टर
3. वर्तमान वेतन ५६०००/- DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२३

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा भौति		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे विस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ल्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भागले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे हैं।

हस्ताक्षर ... V.Ruth

नाम वंशपति - संभवा

पद सहायक मास्टर

पत्र भर कर प्रस्तुत करें



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मल्लेश्वर कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद सहाय्य समाप्ति
3. वर्तमान वेतन 4600/- P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संचार का नाम तथा व्यापारी नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापारी भवन	गृह तथा अन्य मूल्य	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो वर्तमानमें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापारी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>ग्रा. निवासी नियोजित वर्तमान वेतन</u>		<u>कृष्ण पट्टा मुलायां समां</u> <u>3.25/-</u>			<u>वैनिक समाप्ति</u>	<u>पालार्ड लगभग</u>	

* जहाँ लागू न हों काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवश्या उसे विरासत में मिली या उसके बापने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे हों।

हस्ताक्षर
नाम
पद
सहाय्य समाप्ति



फा

* प्रथम नियुक्ति के समय अचलपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री भगवान् रामेश्वर 2. वर्तमान धारित पद विद्युत अधिकारी
3. वर्तमान वेतन ११,८१,०२०.५०/- अग्रीवेतनवृद्धि की तारीख १. जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे गृह तथा अन्य भवन	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम परन हैं तो बतलाइये कि वह किसके ना पर धारित है और उसका भासीय कर्मचारी से न्या संबंध	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से बाधिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीगंगामी वेल्लुकुड़ी २१४४०३	* गृह	२०००/- १५००.२००/- लैंग	१,०००/- १५००.२००/- लैंग	श्री भगवान् रामेश्वर रामेश्वर (पांची)	रामेश्वर ५२००/-	८१२	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रिते के सदर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन यहू भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम और द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाह्यत्वे चारहू मर्हीने की अवधि के पश्चात यह प्रोगणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिल की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा र विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसको आरित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम श्री भगवान् रामेश्वर

पद विद्युत अधिकारी

322
31/11/25

115



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आमनोका कर्मचारी 2. वर्तमान धारित पद 2481 आश्रम

3. वर्तमान वेतन 37,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NE. ज़िला प्रियांका - गोलायर	20X60 पर 9 चंडी मालान घर, 5341 8	-	45000/-	कंचन के घर	प्रियांका ज़िला द्वारा गोलायर के भूदणों के 25000/- रु.	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन यहू भी सम्भिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की जवाबी वेणी के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में गिसी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर अमित कुमार

नाम अमित कुमार
पद 2481 आश्रम

278
24/11/25

116



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जगदीशसिंह-कोहान. 2. वर्तमान धारित पद महामार्शी
3. वर्तमान वेतन 44500 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख ३०.०६.२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित विचार गया *** स्वीकृत, पट्टा, बंधक, विरासत, खेत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा अधीका	संपत्ति ये वार्षिक आय	अधिवृत्ति:
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) ग्राम-भूमि टह- झुर-भापाल	लॉटके 61 25X40 भूमि कोलोनी कोडी-भूपाल	25X40 —	6 लॉक्ट के लगानी	(प्रके के नाम पर के २.८.१. ३२८ लंगा)	—	Nil	—
(2)	गोपीनाथ-गारम विनायक-गारम गोहरमुक्त-बड़ा वडा के -०१	30X30, E.W.S. भूमि पुड़िया ५६ कोडी-गोपन गोपन-गोपन कोडी-गोपन	30X30 —	16 लॉक्ट के लगानी	पुलिकव (पैक) —	Nil.	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्णय करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्भिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेगी, द्वितीय थेगी तथा तृतीय थेगी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह थोकणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवयव उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हों।

हस्ताक्षर
नाम जगदीशसिंह-कोहान
पद महामार्शी

114
(११/१२५)

11X



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बाबू लाल पटेल 2. वर्तमान शारित पद लेहागक मार्शिय
3. वर्तमान वेतन८०००.००.००..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख पुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा आरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से उसा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्लौप्रिं	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) गढ़ पारकोना तहन रायपुरा गढ़ नियुक्ति	—	कृष्ण भूमि भूमि नियुक्ति	प्र० ५०००/-	स्वयं के नाम पर	पैकूक सम्पादित !	८००० लक्ष के १००० मत्र	—
(2) सांडा काल्पनी बहलील रायपुरा नियुक्ति - गुना	—	मैरिसन्स १२८७ वार्फिट	प्र० ५०००/-	स्वयं के नाम पर	अप्र० केमा ग्राम !	×	—
(3) रखलिया पठार तहन टंपूर नियुक्ति - भारीपाल	—	प्र० ५०००/- १०००/- वर्म नियुक्ति	प्र० ५०००/-	स्वयं के नाम पर	अप्र० केमा ग्राम !	×	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु यहाँने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर बार प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित ब्रथा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक गर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के बारे दें।

हस्ताक्षर

नाम बाबू राजा चौधरी

पद स्वामिनी भारीपाल

307
27/11/25

118



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनील अहमद शाह..... 2. वर्तमान धारित पद संसाधन मंत्री.....
 3. वर्तमान वेतन ₹4,500 + DA..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025.....

प्र.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम वा नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा अवैरि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** घरीव, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा घौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिशुक्ति
		गृह तथा अन्य मवन	भूमि					
(i)	काशी लिंकन लोडो स्ट्रीट, डूजुड जिला बरेपाल	109.40 वर्ग मीटर भू-रप्त	5,00,000/-	स्वयं	कर्य	Nil		
(ii)	काशी लारा लोडो स्ट्रीट, डूजुड जिला बरेपाल	100.00 वर्ग मीटर भू-रप्त	3,50,000	स्वयं	कर्य	Nil		
(iii)	काशी लारा लोडो स्ट्रीट, डूजुड जिला बरेपाल	89.77 वर्ग मीटर, भू-रप्त	35,00,000	पत्नी + संयुक्त नक्षें द्वारा दर्शाएँ	बैंक खोल + G.P.T. + संग्रह	Nil		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रियति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात गह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारों उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के घौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम अनील अहमद शाह
पद संसाधन मंत्री

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दिलेश कुमार सौनी 2. वर्तमान धारित पद सहायक मार्शल
 3. वर्तमान वेतन 56100 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख जूलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यरि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमानमें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम भौंडी तहसील कुजुर जिला अोपाल	nil	एलोट 938 करोड़ 18 लाख 27 पैसे	रखमें एवं पर्टिन के समुदाँ नाम पट	J.P.F - व रखमें क्षमता पूर्वे पिताजी के सहयोग	nil	nil	
ग्राम रातीवड़ तहसील कुजुर जिला अोपाल	nil	एलोट 1000 करोड़ 69 लाख 27 पैसे	रखमें के नाम	— — —	—	nil	

* जहां लाशू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भाग्यसे में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पाकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर वार प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नामदिलेश कुमार सौनी
पदसहायक मार्शल

१४
१०/१२५

120



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 24

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कर्मचारी का नाम 2. वर्तमान धारित पद सहायक मुख्यमन्त्री
3. वर्तमान वेतन 46.100 + DA 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख प्र० जून 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और विससे अर्जित वी गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- सिंडो तह- दुर्गा जिला- भोपाल 20X50	झुखठ		10 एकड़	२५%	व्यापारिक वर्चन	२५	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भागों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संरक्षण में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें बल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारूद महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भार कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर R.S. Mehta
नाम कर्मचारी का नाम
पद सहायक मुख्यमन्त्री

146
१५/१२५

121

फा:

* प्रथम नियुक्ति के समय अचलपत्ति का विवरण, वर्ष 2024



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देवेन्द्र कुमार साहू 2. वर्तमान धारित पद उप सहायता मार्गिता
3. वर्तमान वेतन 46,100/- + श्री ४% अग्रीवेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम परन होते बतलाइये कि वह किसके नाम पर वारित है और उसका वासीय कर्मचारी से नया संबंध	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंशक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	भूमि					
(1) <u>ग्राम - डेवेन्द्र</u> <u>पटा</u> <u>तर्फ - ३५२</u> <u>जिला - झोपड़ी</u>	(2) —	(3) <u>उपायी</u> <u>भूमि ५९</u> <u>(१२x१७)</u> <u>की ११२२</u>	(4) रुपय ५ लाख लगभग	(5) रुपय के नाम पर	(6) २जिस्टर्ड निकम-पा द-१२। झीलाम कालेनी केन-१ में सूषिट निकम-पा द-१२५५ मेलाल से रुपय किम-जमा पंजीयन दि. २५-०९-२०१२	(7) NIL	(8) —
(7) <u>ग्राम - डेवेन्द्र</u> <u>पटा</u> <u>तर्फ - ३५२</u> <u>जि - झोपड़ी</u>	(8) —	(9) <u>उपायी</u> <u>भूमि ५९</u> <u>E-९७</u> <u>८२५ की ३२</u> <u>८१-३१ की ३१</u>	(10) ७,५०,०००/-	(11) रुपय के नाम पर	(12) २जिस्टर्ड निकम-पा झोपड़ी गोहड़न घिटी में वर्क एसेसिट मेलाल से रुपय किम- पंजीयन दि. २५-०९-२०१९	(13) NIL	(14) —

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ भूमि का यही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिते वे संदर्भ में लगभग भूमि बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन यही भी सम्भिलित है।

टिप्पणी - यथ्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बातल्ये बाहर महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके हारा अर्जित अथवा इविरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंशक पर उसके बाहर अर्जित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रे हों।

D. D. Sahu
हस्ताक्षर
नाम देवेन्द्र कुमार साहू
पद उप सहायता मार्गिता

१५५
१५।।।२५

१२२

फा:

* प्रथम नियुक्ति के समय अचलसंपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो खुन्दल सिंह लोहा 2. वर्तमान धारित पद उप सहायक भाइलि
 3. वर्तमान वेतन प. ६।०० + D.F. अग्रीवेतनवृद्धि की तारीख प्रूलाई: २०२५



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम परंग हुतो बतलाइये कि वह किसके ना पर धारित है और उसका शाश्वत कर्मचारी से न्या संबंध	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	मृदु तथा अन्य मवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१. श्रम्पव पौ० आवन तहसील बालोगढ़ -कुरा -१०-	पुस्तेची भज्जा	२ भज्जा	३०लाख	स्वयं व पत्नीके नाम	पिरासत	१०लाख	
२.	-	१भज्जा	२०लाख	भाई + स्वयं के नाम	भाई + पिरासत	४लाख	
३. नीलवड तहसील कुप्पर ओपाल	१५५कर्फुट भूरपण	भूरपण	२०लाख	स्वयं के नाम	८५५ मसोसिप्पर गोल्ड सिटी नीलवड ओपाल	NIL	
५. ग्राम रत्नीष्ठा तहसील कुप्पर ओपाल	१००० कर्फुट भूरपण	भूरपण	६लाख	स्वयं के नाम	भाई किया कुआ	NIL	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भागले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विश्वे ने सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आन्ध्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम पी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाल्यत्वे वारह भव्यते की व्यवस्था के पश्चात वह धोषणा पत्र भर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके हारा अर्जित अथवा उ विरासत में भिन्नी या उसके अपने नाम पर वा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके बाल्यत्वे वारह भव्यता समाप्त अचल संपत्ति के अधीन है।

हस्ताक्षर B.Dlodhi
नाम खुन्दल सिंह लोहा
पद उप सहायक भाइलि

156
१५११२५

123



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुरेश कुमार गिर 2. वर्तमान धारित पद उपसदापत्र, भाष्ट्रिल
3. वर्तमान वेतन ५६००० + ०.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा और	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो वर्तमान ये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** वरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भैट या अन्य किसी प्रकार से उस अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D ग्रामकर्टणी शुल्किहा जिला श्रीकाला	—	३ ½ ०५५	—	पैक्टू क्षमता	—	—	—

* जहाँ नाम न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह थोड़ा पत्र भार कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्र की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में है।

हस्ताक्षर
नाम सुरेश कुमार गिर
पद उपसदापत्र, भाष्ट्रिल
उप सदापत्र मार्ग

294
27/11/25

124



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कृष्ण लिलोट रघुवंशी 2. वर्तमान धारित पद उपराज्यमाला शासक
3. वर्तमान वेतन ₹ 6,100 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा भौतिकीय		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीवलोकपेट म. म.न. ७९, रवन्धीकला भवन (मप्र.)	घृह (मकान)	घृह (मकान)	३ एकड़ (१) २० लाख ठाथि भूमि (चेटुक)	(१) २० लाख संयुक्त रूप से । (२) २५ लाख २ लाखि भूमि लंबंड के नाम	(१) वर्षे रखे पहली के नाम संयुक्त रूप से । (२) लाखि भूमि लंबंड के नाम	(१) रुपये की क्रयत रख, जी.पी.एफ सुवे चौंके ब्रह्मा के छपा । (२) रुपये - 100000/- (जूरे एकलाला वार्षिक आय लगभग)	(१) रुपये निकाल रह रहे । (२) रुपये - 100000/- (जूरे एकलाला वार्षिक आय लगभग)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निपटारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिश्ते के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर बत्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उनके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में हो।

हस्ताक्षर

नाम कृष्ण लिलोट रघुवंशी

पद उपराज्यमाला शासक

305
29/1/25

125



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अ.कुला. पुराणा 2. वर्तमान धारित पद उप-संस्थापक लाइन

3. वर्तमान वेतन 43,500+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०५.०९.२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा शाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा बौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर क्षारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे विस्त प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या बन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और विस्त से अंजित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से जारीक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा बन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम-डोगरी जिला-होमणीगढ़ (कानपुर) मिला. पंचायती परिवार कृष्ण	प्रदूषित लैपडैलगढ़ १५(१५,०००/-) ००००००	पंचायत पाली ८५०००					

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भासले में जहां मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिप्रेटि के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह जोखिम है कि वह सेवा में पहसुनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह थोकणा पत्र भार कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गटे या बंधक पर उसके द्वारा क्षारित समस्त अचल संपत्ति के बौरे हों।

हस्ताक्षर *[Signature]*

नाम अ.कुला. पुराणा

पद उप-संस्थापक लाइन

279
24/1/23

126



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विठ्ठल कुमार द्विवेदी 2. वर्तमान धारित पद उप सहायक मार्शल
3. वर्तमान वेतन ₹३५०० + P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जूलाई - 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अबन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रे	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१- शाहज-डॉल्प पा.- भरु लहा - निर्मला बिला - रीता	पेतल मार	तीन छठ	बीस लाख लाख	पेतल	पेतल	50000/-	
२- अंतपुर जोरघाटा रीता (म.क.)		पृष्ठ ५०० वार्ष	१२ लाख लाख	स्वयं के चाम पर	पेतल सेपरिट के बंडोरे मुझे भरे गास ग्रामपंचायत	Nil	
३- सेतु श्रीगंगामी शुगम - दुर्घणपुर भोपाल (म.क.)		५०.२७ लाख	५०२०००/-	पेतल के चाम पर	खरीद	Nil	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्याप्रे हैं।

हस्ताक्षर

नाम विठ्ठल कुमार द्विवेदी
पद उप सहायक मार्शल

204
२०/१/२५

127



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राम गोपाल शुक्ल** 2. वर्तमान धारित पद **उप सहायक मार्शिल**
 3. वर्तमान वेतन **43,500 + डी. रु.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई २०२५**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** बारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन भी तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
झारखण्ड राज्यरत्न लक्ष्मीन दुर्घटना जिला/मण्डल (भा.प्र.) आम-नामुद इलायड़ा लक्ष्मीन दुर्घटना जिला-मण्डल (भा.प्र.)	टक्कुम्हानी लक्ष्मीनी	५ छड़ि के लगभग	१६ लाख रुपये लगभग	स्वयं के नाम	पैनुक (विरासत)	३० हजार रुपये के लगभग	
	→	२१७७ वर्ग चिह्न भूखण्ड	७ लाख रुपये के लगभग	पल्ली के नाम पर	रबीद कर	नहीं	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

राम गोपाल शुक्ल
उप सहायक मार्शिल

टिप्पणी - भारतप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्यों के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यारे हों।

209
20/11/25

123



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 20/11/25
2. वर्तमान धारित पद उपमहापाठी
3. वर्तमान वेतन 56,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख मेरे द्वारा

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे	* वर्तमान मूल्य	गदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ^{वारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है}	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** स्थान, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा औरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>बड़ागढ़ पोखरा</u> <u>पाटा कोइली</u> <u>तालुका पिंडी</u> <u>पिंडी गाँव</u> <u>(20/11)</u>	<u>मप्रपक</u> <u>रु</u>	<u>3,50,000</u> <u>लाख</u>	<u>25,00,000</u> <u>लाख</u> <u>50/-</u> <u>22,00,000</u> <u>लाख</u>	<u>पैक्चर</u> <u>कंपनी का नाम</u>	<u>पैक्चर</u> <u>कंपनी का नाम</u>	<u>50,000</u> <u>लाख</u>	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिथर्टि के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (ग्राचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में

हस्ताक्षर P.Singh
नाम 20/11/25
पद उपमहापाठी

125
13/11/25

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

129



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... **ऋषीश कुमार पटेल**
2. वर्तमान धारित पद ... **उपलक्ष्मा मार्गील**
3. वर्तमान वेतन ... **₹32,000/- प्रति माह**
4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... **01/07/2025**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से नया संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रि	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 अवारा बिराडी जगर-लिंगम मौजाल -	फाफ्पा क्षेत्र दुकान युक्त घर 81 कर्म कोट	5-6 लाख 3.42	रीमाली लीला पटेल (परिव)	द्वय की कला 1	1.00 1 1/2 लाख 15,000/-		
2 श्रीमिला देवी क्षेत्र क्षिरडी चुड़ा क्षेत्र 215 मौजाल (म.9.)	पली मूलीयतल	24-25 प्रति लंबा 10x10 के नाम पर	पारिवारिक मद्देन्द्र द्वय की कला 1	पारिवारिक मद्देन्द्र द्वय की कला 1	1.20 20,000/- 10,212.50		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सर्वभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पाकालीन पट्टे भी सम्बिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में भिली या उसके वधने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रि हैं।

हस्ताक्षर *Guest Hotel*, 13/11/25
नाम **ऋषीश कुमार पटेल**
पद **उपलक्ष्मा मार्गील**

२५/१/२५

१३०



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सिक्खन उत्तर मिशन 2. वर्तमान धारित पद उपसंहार प्रभारी
3. वर्तमान वेतन 42300 + P.A. 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ¹ शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** घरीद, पट्टा, बंशक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भाग-ए-हौर द्वारपुर प्र. मिशन विलासित (मु.)	पैलू भाज डेंड ५००	२५०५०	५०००	पैलू	५०००	३०००	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का ताही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंशक पर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हों।

हस्ताक्षर
नाम सिक्खन उत्तर मिशन
पद उपसंहार प्रभारी



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविकान्त भिठ्ठा 2. वर्तमान धारित पद उप सचिव/अधिकारी
3. वर्तमान वेतन ₹3,500/- P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जूलाई 2025

उस जिले, उथ संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, बेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) लीलापुर विश्व लग्ना नगर अधिकारी	—	11.60 कर्चि फिट	सात लाख	ट्रैक ने ग्राम	पैक एवं घरमालियों का ल	निल	
(10) ग्राम अधिकारी पोल अधिकारी (जल्ला सिवा(भ०/५०)	—	5 लक्ष पर्सीन	७०४ लाख	ट्रैक ने ग्राम	पैक एवं सम्पत्ति	एकलाख के लगातार	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम शेषी, द्वितीय शेषी तथा तृतीय शेषी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के अधीन हों।

हस्ताक्षर
नाम रविकान्त भिठ्ठा
पद उप सचिव/अधिकारी
उप सचिव/अधिकारी

३२
४१११२५

१३२

186
४१११२५

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नरेन्द्र सिंह 2. वर्तमान धारित पद उप स्थायक मार्गील
3. वर्तमान वेतन ५३,५०० + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	बदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मनारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्रा. धीर हरी विणा, लैमरिया शोड, जिला- रीवा	एक नया घरकाला पुस्तीनी संपत्ति पर	6 एकड़ कृष्णगढ़ि	४० लौख लगभग	स्वयं के नाम	विरासत	५० हजार लगभग	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रियल के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे हैं।

हस्ताक्षर Singh

नाम नरेन्द्र सिंह

पद उप स्थायक मार्गील

331
31/2/25

133

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

725
31/2/25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रमोद कुमार पाण्डेय, म.प्र.विधानसभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद उपसहायक मार्शल

3. वर्तमान वेतन रु.43500/- व डी.ए. अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइवे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्वा संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***वारीद, पट्टा बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन भी तारीख और जिसमें अंजित भी गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अस्तुकि
	मूह तथा अन्य भवन	मूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. घाठ क्र. 9 बोदा ग्राम तह-हुजुर, जिला- रीवा (म.प्र.)	भवन	निरंक	लगभग 25 लाख	स्वयं	विरासत में	परिवार की विरासत	निरंक
2. घाठ क्र. 9 बोदा ग्राम तह-हुजुर, जिला- रीवा (म.प्र.)		2 एकड़ कृषि भूमि	लगभग 16 लाख	स्वयं	विरासत में	40 हजार रुपए, लगभग	निरंक
3. ग्राम-अंजिरहा तह-हुजुर, रीवा		75 दिसमिन लगभग वर्षीन	लगभग 25 लाख	स्वयं	विरासत में	निरंक	निरंक
4. ग्राम-मोहरवा, 482, तह-सेमरिया जिला-रीवा		5 एकड़ 40 दिसमिन कृषि भूमि	लगभग 26 लाख	स्वयं	विरासत में	1,20,000/- लगभग	निरंक

* जहाँ लागू न हो काट दीविए।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने भी अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके आपने नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उनके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रि दें।

हस्ताक्षर *P.K. Pandey* 8/3/2025

नाम : प्रमोद कुमार पाण्डेय

पद : उप सहायक मार्शल

223
20/11/25



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20 25.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राधेशमामग्राही,
खुश्का शाखा (ए०७५) विधायकी 2. वर्तमान धारित पद उप सदस्यकु मालाल
3. वर्तमान वेतन 43500 + D.R. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा औरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>महोदी कस्बा</u> <u>तहसील - हिलवाड़ी</u> <u>कु. रामतेन</u> <u>जु.०४०</u> <u>भोपाल</u>	<u>प्लॉट</u>		<u>10. साल्ट</u>	<u>पिताजी की भद्र</u> <u>से खरीदा</u>	<u>पिताजी हरा मदद अंतरा</u> <u>खरीदा</u> <u>वृत्तमान में छोटा अर्दि रह रहा</u> <u>है।</u>	<u>नहीं</u>	
	<u>प्लॉट</u> <u>1397. क.७.८.</u>		<u>25 लल्ले</u>	<u>खंडे खरीदा</u> <u>आई की भद्र से</u> <u>सो देकु से लेने भी था</u> <u>पन्ना खंडे भाट्टे ने</u> <u>पन्ना खंडे भाट्टे ने भिलकुरा खरीदा।</u>	<u>खंडे ले लेने लेकर</u> <u>खरीदा</u> <u>भाट्टे जो भाट्टे ने भिलकुरा</u> <u>खरीदा।</u>	<u>नहीं</u>	
<u>भोपाल</u>	<u>प्लॉट</u> <u>५११. क.७.८.</u>						

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विधि के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तीम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अवधा उसे विरासत में गिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के औरें-

हस्ताक्षर
नाम राधेशमामग्राही
पद उप सदस्यकु मालाल

292
27/1/25

135



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राकेश सिंह 2. वर्तमान धारित पद उप सहाय मार्शल
3. वर्तमान वेतन ₹ 43,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख अनाथरी-25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा और		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित होई हो उसका नाम तथा व्यीरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उप नीलखंड जिला ओपाल (ओरखेड़ी पंजभाफ़त) पटवारी इल्का न० ३२/४८	—	1105 कॉफिट का ट्लाई	—	—	श्री जितेन्द्र रजन निवासी प४/। पानी की ट्लाई के पास उप नीलखंड पंजभाफ़त तहसील दुर्गंगा जिला ओपाल	Nil	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भार कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के और दें।

हस्ताक्षर R.Singh

नाम राकेश सिंह

पद उप सहाय मार्शल

274
23/11/21

136



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बृक्षी पूर्ण म.पौ.
 2. वर्तमान धारित पद सहाय्य गृह-III
 3. वर्तमान वेतन35750/- P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीखजुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा अवैरि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से न्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा घोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				मिर्च			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में समझ मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारूद महीने की अवधि के पश्चात यह घोरा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के विस्तीर्ण सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे हैं।

LM
हस्ताक्षर,
नामबृक्षी पूर्ण म.
पदसहाय्य गृह-III

फार्म

139
15/1/25137
15/1/25

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **द्वाक्षेचंद्राशन, सदा श्रेष्ठ-3** 2. वर्तमान धारित पद **वर्तमान धारित पद**3. वर्तमान वेतन **32160+DA** अगली वेतन वृद्धि की तारीख

उस जिले, उप राज्याग, तालुका तथा शाम वा नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यरि		वर्तमान मूल्य	यदि स्वबं द के नाम पर न हो तो बतलाएँ कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***शरीद, पट्टा बंधक, विरागत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अंजन की तारीख और जिसमें अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	बास्तु
	शुह तथा अन्य स्थान	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	—	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य लक्षाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरागत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम : **द्वाक्षेचंद्राशन, सदा श्रेष्ठ-3**
पद : **वर्तमान धारित पद**

102
10/11/25



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुभाष लोहल..... 2. वर्तमान धारित पद सहायी - III

3. वर्तमान वेतन ... 31,200 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह जिसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की राई हो उसका नाम तथा ब्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	बमियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिवनी ग्राम देवकन्दन रोड पोट्ट-डोम तह-केवलारी जिला भिलाई	5 एकड़ ग्राम देवकन्दन रोड पोट्ट डोम तह- केवलारी	लगभग 25,000/- लाख	समिलित स्थान क्षीमती विमलाबाई (माँ)	समिलित सम्पत्ति	95,000/- हजार फ्लैट लाज	स्थायी काश्यगी दत्तात्री प्राप्त होनी है	

* जहां लागू न हो काट दीनिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वायत्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर
नाम सुभाष लोहल
पद सहायी - III

178
16/11/25

139



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 21 जैन ५० श्रीमा
2. वर्तमान धारित पद सहभागी ३०५ - ३
3. वर्तमान वेतन ३२,१०० | अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, शासुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कुल्लू जिला रामसेन	30X50	18 लाख	८०००	प्रियतामी ६४८	—	X	
— ॥ —	30X50	18 लाख	पल्ली	प्रियतामी ६४८	—	X	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्पतालीन घटे भी समिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर बर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा क्षारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम 21 जैन ५० श्रीमा

पद सहभागी ३०५ - ३

३४
८/१/२५

१४०



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... श्रीमता तिवारी
2. वर्तमान धारित पद ... सहायक लेड़े-डे
3. वर्तमान वेतन ... ३०,३०० + DA: अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... जनवरी २०२६

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की मई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आवारशिला बालोनी आकाशपुरी बरेनज यानी मेल लोपाल	H-192	—	लगभग 30लाख	—	भवन का $\frac{1}{2}$ भाग स्वयं के नाम पर न हो तथा शेष $\frac{1}{2}$ भाग अन्य कर्ता येषुनि भाग भैरो नाम पर है। PNB ट्राइंग एंडेनेस बैंक द्वारा त्रिवेंशु प्राप्त कर लघु किया गया।	30,000 (तीस हजार)	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - महायन्दी शासकीय सेवक (आवारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रे हैं।

हस्ताक्षर

नाम .. श्रीमता तिवारी

पद .. सहायक लेड़े-डे



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **मनोज कुमार ईश्वरपान्ते**, म.प्र.विधानसभा संसदीय लोक सभा
2. वर्तमान धारित पद **संसदीय लोक सभा**

3. वर्तमान वेतन **28500 + P.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2025**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ¹ धारित है और उसका यात्तीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया *** स्थान, पट्टा, बंधक, विरासत, मैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की शई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निरक

* जहाँ सामून हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्भवित हैं।

टिप्पणी - माध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व वीज तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विराशत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर घटे या अंक्षक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रे हैं।

हस्ताक्षर *[Signature]*
नाम **मनोज कुमार ईश्वरपान्ते**
पद **संसदीय लोक सभा**

२४८
२५११२३



142

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ठगड़ा चरखाले
 2. वर्तमान धारित पद लक्षणक ग्रेड - III
 3. वर्तमान वेतन ₹ 8,500 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जूलाई, २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, खेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित वी शई हो उसका नाम तथा व्याप्रे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
काश्यलिंग गांव पिपलिमा केढो कोकार रोड़ के पास, तहसील दुष्टर, झोपाल (ग.ज.)	प्लॉट	1034 57 फै.	वर्तमान अनुमानित मूल्य 10 लाख	खपें के नाम पर	पर्वनल लोन डारा	निरंकु	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें बल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - महाराष्ट्र शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी
सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहुद महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा
प्रत्यक्ष भर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके
परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रे हैं।

हस्ताक्षर पर्वनल
नाम ठगड़ा चरखाले
पद लक्षणक ग्रेड - III

लैबल
04/03/25475
4/3/25

143

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **देवेन्द्र मालवीय** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक डॉड-III**
3. वर्तमान वेतन **₹8500/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **भुग्गाइ-2025**

उस जिले, उप संचार, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, खेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	मूल्य					
(1) ग्राम- रोड्स लोडी तालूक डूधूर भोपाल	(2) नगर निगम लोमाके बाहर	(3) 0.0801 लेक्टेश्चर भूमि	(4) पतनान थापार मूल्य अवृमार	(5) संधुष्ट रूप से	(6) त्वयं की वचन ले।	(7) निल	(8) -

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्ट भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहसुनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर भीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित धनवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्ट या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे हैं।

हस्ताक्षर *Dabu*
नाम **देवेन्द्र मालवीय**
पद **सहायक डॉड-III**

223^व
26/11/25

144



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो लिलिल कुलार लोहिल (काला लिखा नस्तक)
 2. वर्तमान धारित पद लखनऊ मुख्य बैठक - ०३
 3. वर्तमान वेतन 26,000 + DA..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख दुरुस्त 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी तो क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा औरा	संपत्ति से वार्षिक आम	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	मूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
/	/	/	/	/	/	/	/
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
/	/	/	/	/	/	/	/

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निश्चाल करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अग्रभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवका उसे विरासत में गिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के औरे हैं।

हस्ताक्षर *Rehman*
 नाम लिलिल कुलार लोहिल
 पद लखनऊ मुख्य बैठक - ०३

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20²⁴

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. कृष्ण
 2. वर्तमान धारित पद अधिकारी डॉड-३
3. वर्तमान वेतन 27750 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप नियमाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा और		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विराशत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	बनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निल	निल	निल					

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य वा सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य वतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकलीन पट्टी भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में एहतीन नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विराशत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टी या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के औरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम डॉ. कृष्ण

पद अधिकारी डॉड-३

131
15/1/20

146



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... रुद्रजीत मिठै नेही 2. वर्तमान धारित पद शहदायक गोड-3
3. वर्तमान वेतन ३०७००+DA..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, खेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	मूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मकान नं. 65 AN रोड पर काटी नी प्राकृति महान कोलाड प्रोड फॉम्पट	गृह भवन	20x40 = 800 घोफ्ट		स्वयं	खरीदा दुआ	नहीं	नहीं

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मापले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में गहरी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर ...

नाम - रुद्रजीत मिठै नेही

पद - शहदायक गोड-3

दा० घा० दिच्छाल झेल्हा

४५
८/१/२५

१५७



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शिल्पी शुभा भट्टराम 2. वर्तमान धारित पद लैटर मैनेजर - 3
3. वर्तमान वेतन ३३,६०० + ८१८ अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०७/२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यारे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे विस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजिनद	८००८	१,१०००/-	लैंग	जमानार्ही झुल्ले झाड़ी गड्ढी	८८८		
नियमिती केनारो	५८८	१३१८,७५	लैंग	८१३ लोड रु८८ झाड़ी नियमिती	८८८		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें जल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवश्वा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यारे हों।

हस्ताक्षर

नाम

शिल्पी शुभा भट्टराम

पद

लैटर मैनेजर - 3

126
७५११२५



148
१५११२५

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो लक्ष्मी नारायण चौकरी 2. वर्तमान धारित पद सहाय्यक टेक्निकल इंजीनियर
3. वर्तमान वेतन 2,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२४

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गांव का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर स्वारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्वा संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					निकल		निकल

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन चट्ठे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने बीमांशु के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में विली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा स्वारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर लक्ष्मी नारायण
नाम लक्ष्मी नारायण चौकरी
पद सहाय्यक टेक्निकल इंजीनियर

396
24/2/25

149

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राहुल चन्द्रवंशी** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक ग्रेड-3**
3. वर्तमान वेतन **25,400 + DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जूलाई 2025**

उस जिले, उप संगठन, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं भे नाम पर न हो तो बहुलाइये कि वह विस्के नाम पर शारिं है और उसका शासकीय कर्मचारी ये नया संबंध है	उसे विस्क प्रकार अंजित किया जया *** छारीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और विस्के अंजित की गई हो उसका नाम तथा घौरा	संपत्ति से वापिक आय	अधिकुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.....

निरंक

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामग्रे में जहाँ भूल्य का सही-सही निश्चिरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान दिव्यति के संदर्भ में लगभग भूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें बल्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तीन प्रथम शेषी, द्वितीय शेषी तथा तृतीय शेषी देवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के दैमय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र अर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके ल्यागिल की तथा उसके द्वारा अंजित अद्वार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल संपत्ति के घौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम **राहुल चन्द्रवंशी**
पद **सहायक ग्रेड-3**

फार्म

23
८/१/२३

150



* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शेषमणि पटेल, म.प्र.विधानसभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3

3. वर्तमान वेतन रु. 24700/- व डी.ए. अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस ज़िले,उप संभाग, तालुका तथा ग्राम वा नाम,जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहुलाइये कि वह विसके नाम पर सारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***स्थीर, पट्टा बंधक, विरासत, भेट या बन्य विसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और विसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	वम्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैरागङ्ग चिचली, कोल्हापुर रोड,भोपाल	भवन	650 वर्ग फीट	वर्तमान वाजार दर के अनुसार/अनुमान नहीं।	स्वयं के नाम से ही परिवार सहित निवासरत	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह पोषण सत्र भर कर प्रस्तुत बरें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवया उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताधार 125
नाम : शेषमणि पटेल

पद : सहायक ग्रेड-3

17
7/1/25 -

फार्म

151



* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनोज चतुर्वेदी, म.प्र.विधानसभा सचिवालय 2. वर्तमान थारित पद सहायक ग्रेड-3

3. वर्तमान वेतन रु. 24700/- व डी.ए. अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले,उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमानने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किया प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा बंधक, विरासत,मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	गम्भुकि
	मृदु तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. बानहा कुंज केसा-1,कोलार रोड, गोपाल (म.प्र.)	जुनियर एन.आई.आई.-29	1500 वर्गफीट	वर्तमान बाजार दर के बनुआर/अनुमान नहीं।	स्वयं के नाम से है	-----	-----	-----
2. बरखेडा नाशु गोपाल (म.प्र.)	5350 वर्गफीट भूमि	वर्तमान बाजार दर के बनुआर/अनुमान नहीं।	पली/श्रीमती सविता चतुर्वेदी के नाम से है	-----	-----	-----
3. बरखेडी कला, गोपाल (म.प्र.)	2000 वर्गफीट भूमि	वर्तमान बाजार दर के बनुआर/अनुमान नहीं।	पली/श्रीमती सविता चतुर्वेदी के नाम से है	-----	-----	-----

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधारणा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

Manno'

दस्तावेज़
नाम : मनोज चतुर्वेदी 09.01.25
पद : सहायक ग्रेड-3

7/7/25

फार्म

152



* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रामायण प्रसाद द्विवेदी, म.प्र.विधानसभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्रेड-3

3. वर्तमान वेतन रु. 24700/- व डी.ए. अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले,उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो अतिसाइये कि वह विसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बद्य संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***झरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेट वा अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और विरामे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापे	संपत्ति से यारिंग आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य संभव	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल		1000 वर्ग फीट घ्याट ग्राम गोरा गीलबहू, वि.सं.फैदा, वार्ड नं.26, भोपाल	वर्तमान बाजार दर के अनुसार/ अनुमान नहीं।	स्वयं य पत्नी के नाम से है	—	—
भोपाल		1000 वर्ग फीट घ्याट ग्राम रातीबड़ भोपाल	वर्तमान बाजार दर के अनुसार/ अनुमान नहीं।	पत्नी के नाम से है	पिताजी द्वारा सहयोग राशि एवं बैंक लोन द्वारा	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पाल्कीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी रोवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिया उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ल्यारे दें।

हस्ताक्षर T. 151.00/15
नाम : रामायण प्रसाद द्विवेदी न ॥ ॥ ५
पद : सहायक प्रेड-3

134
15/1/25

153



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....आत्माराम पाण्डे..... 2. वर्तमान धारित पद.....सहायक ग्रेड-3....
3. वर्तमान वेतन34400/-..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....जुलाई 2025.....

उस जिले उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बघक, विरासत, भेट या अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और विससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नगर निगम सीमा से बाहर बोरदा ग्राम पंचायत कोलार रोड भोपाल	यू.टी.सी.टी. C-14 मोल्ड प्लाट एरिया 840 स्क.फीट एवं बिल्डिंग एरिया 1475 स्क.फीट ग्राम पंचायत बोरदा कोलार रोड भोपाल	निर्माण भवन 25	स्वयं के नाम पर	स्वयं एवं बैंक से कहन लेकर		निरंक	

* जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन एटू भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक मादम्य से यह अपेक्षित है कि उह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा या बघक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर *15/1/25*

नाम - आत्माराम पाण्डे

पद - सहायक ग्रेड - 3

256
22/11/25

154



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विकाश कुमार 2. वर्तमान धारित पद सहायक ५३-३
3. वर्तमान वेतन ५०७६०/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०७/२०२५ (गुरुवार)

उस जिले, उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा अवैरि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा अवैरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिशुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जीमरी बापतपुर पटनारी-झल्का ठहु़-झुरु जल्हा-गोला	-	-	३००००/-	श्रीमरी लता कुमारी (७८वाँ)	पृष्ठक	-	-

* यहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में यहां मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी - भारतप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारूद भूमि की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अपवाह उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर
नाम विकाश कुमार
पद सहायक ५३-३

127
15/11/25



155

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो छारी संसाधन एकाई
 2. वर्तमान धारित पद सचिव ३ (प्रमाण)
3. वर्तमान वेतन RS - 34,400/- — अगली वेतनवृद्धि की तारीख भूलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा अधिकारी गृह तथा अन्य भवन	** वर्तमान मूल्य	गदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वार्डन 26 रीवा शाहजहांपुरम् जिला रीवा (म.प्र.)	गृह निल	मूल्य 20 लाख	गदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर शारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	SBI दंडनान अवन न्य मालूट टी.टी.नारा (निल) ओपाल पसंभल लोन लेक (वनाया गया है)			

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निश्चारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारूद मूल्यों की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवया उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अकिल के नाम पर गढ़े या बंधक पर उसके द्वारा शारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर
 नाम छारी प्रसाद एकाई
 पद सचिव ३ (प्रमाण)



* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पुरुषोत्तम सेन, म.प्र.विधानसभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3

3. वर्तमान वेतन रु. ३६,५००/- च.डी.ए. अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले,उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वहाँ वित्तके नाम पर सारित है और उसका शासकीय कर्मचारी ये स्था संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***सरीर, पट्टा बंधक, विरासत,मेंट वा बना दिनी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वापिक आय	अमुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे गामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में गहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके द्वारा अर्जित अवधार उसे विरासत में भिली वा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर
प्र०

नाम : पुरुषोत्तम सेन

पद : सहायक ग्रेड-3

19/1/25

157



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - पंचमणि प्रसाद मिश्रा 2. वर्तमान धारित पद सहा. ग्रेड-3 म०प्र०
विधानसभा सचिव
3. वर्तमान वेतन 28800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... जुलाई, 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा और गृह तथा अन्य भवन	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अंजन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा और	संपत्ति से वार्षिक आय	असियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम-सगरा, पोस्ट-सगरा जिला-रीवा (म०प्र०)	पैन्टक घट, मकान, जमीन (कृषि भूमि) भाजप, मेरे समुक्त नाम.	1.38 एकड़ वर्तमान बाजप, मूल्यानुसार 0.52 एकड़ (कृषि भूमि) -do-	मौ, बैड बाई स्वं	पैन्टक भूमि	35,000=00		
② न्यू टी.टी.नगर, नीलकंद, ओपाल, (म०प्र०)	शूटर्जट	1400 मिट्टि 2 ft 8 ft	-do-	पत्नी के नाम (कपत स्वं GPF से राइट एक्ट करक्य)	— do — with the help of GPF and savings.	15,000=00	नोट:- पारिवारिक विवाद के कारण भविष्य में परिवर्तित हो सकती है.

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - महायाप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात यह थोकणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके हारा अंजित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके हारा धारित चमत्त संपत्ति के और हैं।

हस्ताक्षर M. nichra 10/1/25
नाम - पंचमणि प्रसाद मिश्रा
पद सहा. ग्रेड-3

171
16/11/25

159



फार्म

स्थिति

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीवाच्चन्न पुस्ताइ मिश्र 2. वर्तमान धारित पद सहायक छोड़ी-3
 3. वर्तमान वेतन 33400/- PA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई-2025

उस जिले, उम संभाग, दालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आसनीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंष्टक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	बधियुक्ति
	गृह तथा अन्य मवन	मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>ग्राम नाथु</u> <u>बाहुदर्हा</u> <u>नीलगढ़</u> <u>गोपाल</u>	<u>मुख्य</u> <u>वर्ष - 2012</u> <u>एवं</u> <u>वर्ष - 2018</u> <u>में</u>	<u>1277</u> <u>करोंपत्र</u>	<u>1,68,570</u> <u>श्रीमती मिश्र</u>	<u>(पत्नी)</u>	<u>लैंच ले न्हुन लेकर</u> <u>एवं स्वप्न की घटन</u> <u>के</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
			<u>1277</u> <u>करोंपत्र</u>	<u>471,173</u>			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय त्रीतीय तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह धोषणा पूरा कर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अववा उसे विरासत में विली या उसके वरपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम श्रीवाच्चन्न पुस्ताइ मिश्र
पद सहायक छोड़ी-3

306
29/1/25

160



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **दिलोडा कुमार परमार**
2. वर्तमान धारित पद **क्रांतिकारी प्रशासनीय प्रभारी**
3. वर्तमान वेतन **₹ 3,400 + DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुक तथा गाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यरि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्थायं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंष्टक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पाटाजामुख व्यामुख लकड़वाड़ा मलाक	15 बीघा	60 Lkg		पाटक सम्पत्ति	1,00,000		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-नहीं निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रिथर्टि के संदर्भ में सगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तीम प्रथम शेषी, द्वितीय शेषी तथा तृतीय शेषी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के छोरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **दिलोडा कुमार परमार**

पद **क्रांतिकारी प्रशासनीय प्रभारी**

170
16/11/25

161

फार्म

टिस्ट्रेट

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो १७१९/१८१-३५८१/..... 2. वर्तमान धारित पद २०२४/४५६-III

3. वर्तमान वेतन ३३,४०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख १८/११/२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यारे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	*** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा अधीक्षा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
	गृह तथा अन्य भवन	मूल्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		—	—	१७१९/३११८	—	—	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान रियलि के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आरह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यारे दें।

हस्ताक्षर
नाम १८/११/२५/३५६-III
पद १८/११/२५/३५६-III

२५८
२०/११/२५

162



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ११ जालन शर्मा 2. वर्तमान धारित पद स्टापक २१३-३
3. वर्तमान वेतन ५६-५२२६०/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे	** वर्तमान मूल्य	बदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर ¹ आरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौद्धि	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
झाल - बिल्हपुर तट - बिल्हपुर जिला - रामगढ़	कुष्ठभूमि २५ घासव ६ एकड़	२५ घासव	स्वयं के नाम	विरासत	निरंतर परिवार संभाली है।		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भागले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह छोपणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अवक्षिप्त के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे दें।

हस्ताक्षर जालन

नाम जालन शर्मा

पद स्टापक २१३-३

7)
११/१२५

163



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२४

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दीर्घालय प्रियंका 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रन्ड ऑफिसर (प्रशासन)
3. वर्तमान वेतन ₹ ५५०० + ७९ अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्रांग का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा बीरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वहलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से न्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** ब्रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बीरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	१२	०१ नृपातं					

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-यही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - महायात्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में एहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बीरे हैं।

हस्ताक्षर Braj
नाम दीर्घालय प्रियंका
पद सहायक ग्रन्ड ऑफिसर (प्रशासन)

185
16/11/25

164



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024-25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती लेपलाली निहोसे**
2. वर्तमान धारित पद **सहाय्यक हेड-मेनेजर**
3. वर्तमान वेतन **24,000/- P.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जून बढ़ी 2026**.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापे		** वर्तमान मूल्य	वहि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्देश							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संबंध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में भिली या उसके बपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

इस्ताब्धर *[Signature]*
नाम **लाला निहोसे**
पद **सहाय्यक हेड-मेनेजर**

260
22/11/25

165



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राहुल वर्मा 2. वर्तमान धारित पद अहमद अडे # 03

3. वर्तमान वेतन 24000 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 नवंबर 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा औरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वतलाइये कि वह किसके नाम पर ¹ धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौहा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निर्देश

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का गही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य वतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र अर वार प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित वयस्का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित गमत अचल संपत्ति के व्यापरे हैं।

हस्ताक्षर
नाम राहुल वर्मा
पद अहमद अडे # 03

Bhavna
राहुल वर्मा
अहमद अडे # 03

२४११/२५

२८३

१६६



फा

* प्रथम नियुक्ति के समय अचलपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आरुण ढोके, म.पु. विद्यानसभा 2. वर्तमान धारित पद सहायक श्रेड-III
3. वर्तमान वेतन 24,600 + D.P. अग्रीवेतनवृद्धि की तारीख जनवरी-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पत्तन हैं तो वत्तमालैये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका वारोय कर्मचारी से क्या संबंध	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंक अकाउंट, मैट वा बन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की मई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा बन्य भवन	मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
फॉर्म लॉ							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति वे संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम पी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बादत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा र विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिकारी के नाम पर घटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ०९/०१/२०२५
24/10/2025

नाम आरुण ढोके

पद सहायक श्रेड-III

157
१५११८८

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20



167

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ...संदेश संप्रकाळन..... 2. वर्तमान धारित पद सहायक ३। १६८। १५८। १५८।
3. वर्तमान वेतन 24000+ अलग अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१ जून १२। २०२५

उस जिले, उप संचाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे विस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पटा, बंधक, विरासत, खेट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निल			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अग्रिमत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवयव उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के विसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर *Sapkar*
 नाम संदेश संप्रकाळन
 पद सहायक श्री ३-३

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रियेश द्वावरा 2. वर्तमान धारित पद सह. ग्रुप-3
 3. वर्तमान वेतन 24000 + P.A. 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा शाम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर आरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** भरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

71
प्रियेश

* जहां लाभ न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहुदारीने की अवधि के पश्चात महोषण पुत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवश्या उसे विरासत में छिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर
नाम प्रियेश द्वावरा
पद सह. ग्रुप-3

189
16/1/25

169



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :

मनीष बनोदे, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

2. वर्तमान धारित पद :

सहायक ग्रेड-3

3. वर्तमान वेतन :

24,000 + बन्द

अगली वेतनवृद्धि की तारीख :

01.01.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रि		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्लॉक	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भूखण्ड क्र. 36, सांई धाम कोलोनी, याम कलखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)	-	800 वर्ग फिट भू-खण्ड	वर्तमान वाजार मूल्य	स्वयं के नाम पर.	बैंक लोन एवं स्वयं की वचत में.	नहीं	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का मही-गही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी मन्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य में यह अपेक्षित है कि वह सेवा में गहली अभियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में गिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्यों के नाम पर या किसी अन्य अवक्षित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यांगे दें।

हस्ताक्षर M.Bande 16-01-2025
नाम : मनीष बनोदे
पद : सहायक ग्रेड-3
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

35
४/१/२५

170



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२४ - २५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डोब्रानी लड्डू 2. वर्तमान धारित पद अहसास ब्लैड - ३
3. वर्तमान वेतन २४,००० + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख अक्टूबर २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यापर		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से व्या संबंध है	उसे विस प्रकार अर्जित किया गया *** छारीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापर	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - ग़ज़ाप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा या बंधक पर उनके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यापर हैं।

हस्ताक्षर १८/१/२५
नाम डोब्रानी लड्डू ३८५
पद अहसास ब्लैड - ३

315
31/1/25

171



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजन उरुद्धीर्ण 2. वर्तमान धारित पद सचिव
3. वर्तमान वेतन 33,980 अगली वेतनवृद्धि की तारीख १०.०५.२०२६

उस जिले, उप संभाग, वालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित निया गया *** स्वर्य, पट्टा, बंधक, विरासत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नीमूर झीलाल	झूठ	.	2925.	प्रियापुरन राजीव से 2015 में नियमित 10/10/2017	—	—	

* जहां लाशू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम थेणी, द्वितीय थेणी तथा तृतीय थेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह धोषणा पत्र भर भर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित वर्षवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर घटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम राजन उरुद्धीर्ण
पद सचिव

24
फार्म ४/१/२५

१७२



* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **नीरज सेन, म.प्र.विधान सभा** 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3
3. वर्तमान वेतन 24300/- ब डी.ए. अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्याप्रे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी रोक्या संबंध है	उसे किया प्रकार अर्जित किया गया ***बरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें वर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्लौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	वस्तुका
	चूह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करता संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्भिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनुदित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह प्रोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधारा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के विस्तीर्ण सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्याप्रे हैं।

हस्ताक्षर
दिनांक 08/11/25

नाम : नीरज सेन

पद : सहायक ग्रेड-3